

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-PMGSY-262/2022 - 60

/पटना, दिनांक- 06.01.2023

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0

विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में 165 पथों एवं 19 पुलों निर्माण के लिये स्तम्भ-7 में अंकित लम्बाई (कि०मी०/मी०) एवं स्तम्भ-13 में निर्माण तथा अनुरक्षण सहित अंकित राशि पर अलग-अलग योजनाओं के लिये जिनकी कुल राशि रु० 1441.4675 करोड़ रुपये (चौदह अरब एकतालीस करोड़ छियालीस लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र है, पर योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के के द्वारा राज्य के 29 जिलों यथा अररिया, अरवल, बाँका, भागलपुर, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, छपरा (सारण), दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर (भभुआ), कटिहार, खगडिया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिम चम्पारण जिलों में राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III अन्तर्गत स्वीकृत पथों एवं पुलों के लिए समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-17024/4/2019-RC(Part) (eFMS No 368978) दिनांक-29.11.2022 के द्वारा कुल 263 पथों जिनकी लम्बाई 2438.32 कि०मी० तथा प्राक्कलित राशि रु० 2141.37 करोड़ एवं 72 पुलों जिनकी लम्बाई 3241.93 मी० तथा प्राक्कलित राशि रु० 286.18 करोड़ पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। कुल स्वीकृत राशि रु० 2427.55 करोड़ जिसमें राज्यांश की राशि रु० 982.47 करोड़ है।

इनमें से 05-15.00 करोड़ की योजनाओं पर स्तम्भ-13 में अंकित राशि हेतु अलग-अलग योजनाओं के लिये निर्माण तथा अनुरक्षण हेतु क्रमशः राशि रु० 1328.8558 करोड़ रुपये तथा रु० 112.6117 करोड़ रुपये जिनकी कुल राशि रु० 1441.4675 करोड़ रुपये (चौदह अरब एकतालीस करोड़ छियालीस लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र है, पर निम्न योजनाओं के लिए विधिवत् योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-





PMGSY-III 2022-23 (Batch-2)

Road Proposal

Sl. No.	District	Division	Block	Package Number	Road Name	Pavement Length (In Kms.)	MoRD Share (In Lakhs)	State Share Excluding Higher Specification (In Lakhs)	Higher Specification Cost (In Lakhs)	Total Cost	Maintenance Cost (In Lakhs)	Total Cost with maintenance (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Araria	Araria	Sikti	BR01P 3R20	MRL03-MURARIPUR PMGSY ROAD TO KELABARI	7.02	317.04	211.36	6.48	534.88	23.56	558.44
2	Araria	Forbisganj	Forbisganj	BR01P 3R22	MRL06-PWD MIRZAPUR TO SIMRAHA RAILWAY STATION	11.60	407.57	271.72	10.44	689.72	43.44	733.16
3	Araria	Forbisganj	Forbisganj	BR01P 3R23	MRL32-SAIFGANJ TO SIMRAHA	6.61	363.01	242.00	7.91	612.93	27.22	640.15
4	Araria	Forbisganj	Forbisganj	BR01P 3R24	MRL50-PMGSY SHAHWASHPUR TO HATEWA	8.70	301.00	200.66	12.13	513.79	31.54	545.33
5	Araria	Forbisganj	Forbisganj	BR01P 3R27	MRL15-Kursakatta Hatta Chowk Via Domra bandh	10.72	358.00	238.66	12.17	608.82	44.10	652.92
6	Araria	Forbisganj	Forbisganj	BR01P 3R28	MRL26- SIRSIYA TO MANJHUA	11.70	656.28	437.52	0.00	1093.80	34.35	1128.15
7	Araria	Forbisganj	Narpatganj	BR01P 3R30	MRL02-KANHAILI TO GOKHULAPUR VIA GARGAMMA	13.50	591.52	394.35	13.76	999.63	62.05	1061.68
8	Araria	Forbisganj	Raniganj	BR01P 3R31	MRL56-NH-327 E Kamalpur to Ufrai	9.20	522.72	348.48	20.15	891.35	27.59	918.94
9	Araria	Forbisganj	Raniganj	BR01P 3R32	MRL05- Kohbara Bishanpur chowk to 10 no Road Bhawaninagar via Bhawani nagar Kurmi tola	9.13	354.04	236.02	10.24	600.30	37.59	637.89
10	Araria	Forbisganj	Raniganj	BR01P 3R33	MRL10-SH-77 T01 Majhuwa north to 10 NO Road	9.37	621.38	414.26	10.17	1045.82	38.70	1084.52
11	Arwal	Arwal	Arwal	BR38P 3R05	MRL06-BHADASI TO DARIYAPUR VIA FAKHARPUR, PATHAKCHAK	5.30	299.83	199.89	4.86	504.58	55.85	560.43
12	Arwal	Arwal	Banshi Surajpur	BR38P 3R06	MRL05-CHAND BIGHA TO LAL BAGH KARPUR VIA PONDIL, SADIPUR, SHERPUR	15.43	365.53	243.69	15.85	625.07	89.77	714.84
13	Arwal	Arwal	Kaler	BR38P 3R07	MRL01-T02 To Bhagwanpur	9.05	533.20	355.46	10.10	898.76	60.97	959.73
14	Arwal	Arwal	Karpi	BR38P 3R08	MRL01-Barah Mile To Karpi, Arwal jehanbad Road	11.53	372.61	248.41	11.02	632.04	74.93	706.97
15	Banka	Banka-1	Shambhuganj	BR03P 3R24	T06-Shambhuganj Asarganj RCD Road to Rampur Dalwa RCD Road	11.75	750.74	500.49	9.82	1261.04	125.68	1386.72
16	Banka	Banka-2	Dhoraiya	BR03P 3R27	T11-Chalna more High School to Jaipur more (Mahgama Dhoraiya RCD Road)	8.83	366.32	244.22	6.23	616.78	64.36	681.14
17	Banka	Banka-2	Katoriya	BR03P 3R28	T08-Chilaya More -Endodih Via Mothajhar Uparchak	13.50	554.17	369.44	13.01	936.62	102.64	1039.26
18	Banka	Banka-2	Katoriya	BR03P 3R29	T12-Katoriya Simultalla Pwd Road to Baliyama	13.70	561.49	374.32	13.42	949.24	100.30	1049.54

इनमें से 05.00-15.00 करोड़ के कुल 165 पथों जिनकी लम्बाई 1441.30 कि०मी० एवं 19 पुलों जिनकी लम्बाई 1585.22 मी० जिसमें राज्यांश की राशि रू० 538.4459 करोड़ रुपये की राशि होगी जो PMGSY (राज्यांश) मद के लिये राज्य बजट से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी तथा अनुरक्षण की राशि रू० 112.6117 करोड़ रुपये होगी जो गैर योजना बजट 3054 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी। विभाग के लिए शीर्ष 3054 के तहत प्रावधानित बजटीय उपबंध से अनुरक्षण कार्य के लिए कर्णांकित राशि से वहन किया जायेगा। यहाँ यह उल्लेखनिय है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के वर्ष 2022-23 (Batch-II) के अन्तर्गत Programme fund से कार्यान्वित की जाने वाली इन योजनाओं के लिए अनुरक्षण हेतु निर्धारित अवधि 05 साल है।

3. मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघुशीर्ष 103 ग्राम विकास उपशीर्ष 0216 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी०एम०जी०एस०वाई०) केन्द्रांश मद (विपत्र कोड-37-4515-00-103-0216), व्यय के अधीन मुख्य योजना शीर्ष 4515 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1500.00 करोड़ रू० का बजट उपबंध है।

4. मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघुशीर्ष 103 ग्राम विकास उपशीर्ष 0316 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी०एम०जी०एस०वाई०) राज्यांश मद (विपत्र कोड-37-4515-00-103-0316), व्यय के अधीन मुख्य योजना शीर्ष 4515 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1600.30 करोड़ रू० का बजट उपबंध है।

5. मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054- सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला एवं अन्य सड़के लघुशीर्ष 105 रखरखाव तथा मरम्मत उपशीर्ष 0001 अनुरक्षण मद (विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001), हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3030.00 करोड़ रू० का बजट उपबंध है।

6. मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-00 लघुशीर्ष-789, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-201-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत (विपत्र कोड-37-4515-00-789-0201), एवं विषय शीर्ष 5301 मुख्य निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 922.57 करोड़ रू० का बजट उपबंध है।

7. इस प्रकार उपर्युक्त योजनाओं के लिए कुल राशि रू० 1441.4675 करोड़ में से राज्यांश की राशि रू० 538.4459 करोड़ है, एवं भारत सरकार की राशि रू० 790.4099 करोड़ है। राज्यांश की राशि विभाग के योजना शीर्ष 4515 के अन्तर्गत प्राप्त की गयी राशि से भारित होगी। रू० 112.6117 करोड़ रुपये की राशि अनुरक्षण की होगी जो गैर योजना बजट 3054 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी।

8. ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार मानक निविदा अभिलेख पर e-tendering पद्धति से निविदा के माध्यम से

कराया जायेगा। इन योजनाओं में स्तम्भ-6 में योजनावार अंकित पथों पर पुलों का निर्माण किया जाना है।

9. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

10. यह एक केन्द्रीय योजना है जिसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के दिशा-निर्देश के आलोक में किया जाना है। पथ निर्माण के लिये मूल स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत बिहार सरकार द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण लगने वाली अधिकाई राशि का वहन भी विभाग के योजना बजटशीर्ष-4515 नई सड़कें एवं पुल मद में PMGSY (राज्यांश) मद में प्राप्त हाने वाली राशि से किया जाएगा।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 के प्रावधानित बिन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।

12. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में कार्यान्वयन अंतराल पर निर्धारित निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह संबंधित कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा कि निरीक्षण विवरणी विहित प्रपत्र में निर्धारित चरणवार अभिलेखबद्ध किया जायेगा तथा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

14. संबंधित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग विहित प्रपत्रों एवं अन्तराल पर योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

15. इस योजना के लिए सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग के संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-262/2022 के पृ०-21/टि० पर दिनांक-04.01.2023 को प्राप्त है।

16. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45/94-301वि (2), दिनांक-31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि (2), दिनांक-15.09.2005, वित्त विभाग के पत्रांक एम-4-53/2007-3758 वि०, दिनांक-31.05.2017, के प्रावधानों एवं वित्त नियमावली, खण्ड-1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है तथा ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या-मु०अ०-4-PMGSY-5-17/09-4168, दिनांक-22.06.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-262/2022 पृ०-20/टि० पर दिनांक-02.12.2022 को प्राप्त है।



विश्वासभाजन

6/1/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-262/2022 - 60

/पटना, दिनांक-06.01.2023

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8
6/1/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-262/2022 - 60

/पटना, दिनांक-06.01.2023

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा0 का0 वि0/अभियंता प्रमुख के सचिव (ग्रा0), ग्रा0 का0 वि0/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8
6/1/2023

विशेष सचिव

